(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 17/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/152

बउनवान

श्री गुरूजंट सिंह पुत्र श्री निधान सिंह निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, अंता हाल निवासी मकान नं. 1/41 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अंता जिला बारां (राज.) मो.नं. 9509028067

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 20.09.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अंता को दिनांक 21.05.2024 को सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी जिसके संबंध में अपीलार्थी के पास हस्ताक्षर सहित आमद लिपिक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अंता की प्राप्ति है। दिनांक 21.05.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विषय एवं संदर्भ में निम्नलिखित 03 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी :–

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा की गई विभागीय कार्यवाही, कार्यालय टिप्पणी, जांच, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अन्य विभाग, अधिकारी, कर्मचारी से हुए पत्र व्यवहार की उत्तर प्रतिउत्तर की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक [illegible]9.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 1120–1121 दिनांक 02.09.2024 से तलब कर, प्रथम अपील की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1120–1121 दिनांक 02.09.2024 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:33:36 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा केवल 01 बिंदु की सूचना उपलब्ध करवाई गई है। शेष 02 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु आदेश पारित करें।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/सू.काअ./2024/487–488 दिनांक 18.09.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को भी प्रतिलिपि भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता से चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/सू.काअ./2024/487–488 दिनांक 18.09.2024 से इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदु संख्या 01 का जवाब भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 09.07.2024 को प्राप्त हुआ था जिसकी छायाप्रति उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक :– न्याय/आरटीआई/2024/397 दिनांक 31.07.2024 से अपीलार्थी को जरिये डाक आवेदन में दिये गये पते पर भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे 03 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा बिंदु संख्या 01 का जवाब पत्र क्रमांक/सू.काअ./2024/487–488 दिनांक 18.09.2024 से इस न्यायालय में भिजवा दिया गया है जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदु संख्या 02 व 03 के संबंध में आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2024 पर नियमानुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को सूचित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **20.09.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested